विज्ञापन का प्रारूप

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग,जिला–धमतरी

क्र/ /मबावि/पो.आ./2020–21 धमतरी दिनांक 17.09.2020

महिला स्व सहायता समूहो से रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव का आमंत्रण

जिले की अधोलिखित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाडी केन्द्रो मे रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार भविष्य में प्रदाय हेतु **केवल सेक्टर परिक्षेत्र के महिला स्व–सहायता समूहों** से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। **इच्छुक समूहों** द्वारा आवेदन इस कार्यालय से प्राप्त कर **कार्यालयीन समय में दिनांक 15.10.2020 को अपरान्त 4.00 बजे** तक **केवल रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के माध्यम से प्रस्तुत** किये जा सकते है। आवेदन फार्म **कार्यालयीन समय में 200/– रू. का चालान शीर्ष – 0235 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित अन्य प्राप्तियां में जमा करते हुए, चालान की मूल प्रति जिला कार्यालय में जमा कर दिनांक 14.10.2020 तक आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते है।** अन्य शर्ते व विस्तृत विवरण जिले की बेबसाईड www.dhamtari.gov.in में देखा जा सकता है।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन का प्रपत्र कार्यालय द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।

क्र.	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम जहां प्रदाय किया जाना है।	सेक्टर में आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	धमतरी ग्रा.	धमतरी	26
2		रूद्री	26
3		अछोटा	27
4		देमार	26
5		मोंगरागहन	26
6		खरेगा	26
7		तरसींवा	24
8		पुरी	27
9		झिरिया	26
10	नगरी	नगरी 01	30
11		नगरी 02	27
12		सिहावा 01	30
13		सिहावा 02	26
14		सांकरा 01	32
15		डोंगरडुला 01	29
16		डोंगरडूला 02	27
17		घटुला	26
18		बेलरगांव	29
19		केरेगांव	32
20		कुकरेल	33
21	मगरलोड	सिंगपुर	22
22		मगरलोड	35
23		खिसोरा	26
24		पठार	20
25		मेघा	28
26		करेलीबड़ी	29

27	कुरूद	जीजमागांव	27
28		कुरूद शहरी	26
29		भखारा	25
30		कोर्रा	30
31		कुरूद ग्रामीण	25
32		नारी	26
33		मरौद	23
34		सेमरा	21
35	धमतरी श.	सेक्टर धमतरी शहरी 01	29
36		सेक्टर धमतरी शहरी 02	31

(चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

समूह चयन हेतु पात्रता मापदण्ड :–

1. छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना के उल्लेख अनुसार केवल ''ए'' श्रेणी की महिला स्व सहायता समूह की चयन के लिये पात्र होंगे। जिन्होने निर्धारित अवधि में पूरा–पूरा किश्त अदा किया हो।
2. एक सेक्टर के लिए एक ही समूह का चयन किया जायेगा।
3. कार्यस्थल संबंधित पर्यवेक्षक सेक्टर अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेड़ी टू ईड फूड प्रदाय के लिए केवल स्थानीय स्व. सहायता समूह का चयन किया जाना है, समूह का मुख्यालय उसी सेक्टर परिक्षेत्र के अंतर्गत ही होना चाहिए। गैर स्थानीय समूहों का प्रस्ताव स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
4. आवेदित महिला स्व सहायता समूह में समान सामाजिक, आर्थिक परिवेश की 10 से 20 महिलाए सदस्य हो तथा आवेदित महिला स्व सहायता समूह में एक परिवार का एक सदस्य शमिल हो। तथा अध्यक्ष, सचिव, सदस्यों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड कोई भी एक परिचय पत्र की स्व हस्ताक्षरित तथा समूह के अध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रमाणित छायाप्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जावें।
5. आवेदन पत्र में संबंधित बिन्दु स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी के पदमुद्रा सहित प्रमाणीकरण हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ताकि समूह का स्थानीय होने का पुष्टि हो सके।
6. गलत समूह का प्रस्ताव अनुशंसा कर भेजने पर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावेगा।
7. चयन होने पर 15 दिनों के अन्दर 50 रू. नानज्यूडिशियल स्टेम्प पेपर पर अनुबंध सम्पादित कराना होगा, ऐसा नही करने पर चयन स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
8. आवेदन पत्र के साथ रेडी टू ईट निर्माण व पैकिंग संबंधी सभी टूल्स 2 माह के अंदर व्यवस्थित कर लेने संबंधी घोषण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा चयन तिथि से 2 माह के अंदर अधोसंरचना विकसित नहीं कर पाने पर चयन निरस्त किया जावेगा।
9. आवेदन पत्र के साथ समूह के गठन होने संबंधी कार्यवाही विवरण तथा नियमावली का स्व सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
10. समूह अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित हो। चकानुकम में अध्यक्ष, सचिव, व कोषाध्यक्ष का चयन किया जाता हो। इस आशय का समूह की नियमावली में स्पष्ट उल्लेख हो।

11. समूह की नियमित बैठक हो रही हो। समूह निर्णय में सभी की सहभागिता हो तथा प्रत्येक बैठक का कार्यवाही विवरण पंजी में दर्ज किया जाता हों।
12. महिला स्व सहायता समूह का बैंक खाता हो तथा रोकड़ बही, सदस्यता पंजी, जमा पंजी, ऋण पंजी, ऋण वापसी पंजी, रोकड़ बही में बचत एवं निकासी का विवरण अद्यतन संधारित हुआ हो, का स्व प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
13. समूह आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिये ताकि वे रेडी टू ईट फूड का स्वयं उत्पादन करने हेतु आवश्यक मशीने एवं अद्योसंरचना विकसित कर सके तथा रेडी टू ईट फूड की निरंतरता को दो माह तक बनाये रख सके।
14. शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे।

समूह चयन हेतु अपात्रता :–

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका यदि महिला स्व सहायता समूह में सदस्य/पदाधिकारी है तो समूह को चयन के लिए अपात्र माना जावेगा।
2. समूह के सदस्य/सदस्यों का किसी अपराधिक गतिविधि में संलग्न पाये जाने पर समूह को तत्काल ऐसे सदस्य/सदस्यों को समूह से पृथक करना होगा यदि सदस्यों को पृथक करने के उपरांत समूह संख्या के न्यूनतम संख्या से कम हो रही है, तो तत्काल नवीन सदस्य को समूह में शामिल करना होगा अन्यथा समूह अपात्र माना जावेगा।
3. किसी भी समूह, जिसे पूर्व में रेडी टू ईट फूड के कार्य में अथवा किसी अन्य शासकीय योजना में अनिमितता/नमूनों के गुणवत्ताहीन पाये जाने के कारण पूर्व में कार्य से पृथक किया गया है तो समूह चयन के लिए अपात्र माना जावेगा।
4. इच्छुक महिला स्व. सहायता समूह को निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र नियत तिथि व समय तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। समयावधि समाप्त होने के बाद प्राप्त आवेदन स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
5. यदि महिला स्व सहायता समूह का मुख्यालय, संबंधित पर्यवेक्षक सेक्टर से बाहर का है तो उस चयन के लिए अपात्र माना जावेगा।
6. समूह में 10 से कम एवं 20 से अधिक सदस्य हो तथा जिस समूह में समूह सदस्य महिलाये न हो तो ऐसे समूह को चयन के लिए अपात्र माना जावेगा।
7. महिला स्व सहायता समूह द्वारा अर्जित लाभ, समूह द्वारा विनियोग नहीं किया जा रहा है, अथवा सदस्यों में वितरित नही किया जा रहा है, तो समूह की कार्यवाही को संदिग्ध मानते हुए समूह को चयन हेतु अपात्र माना जावेगा।
8. महिला स्व सहायता समूह की गतिविधि/कार्य समूह की अवधारण के अनुरूप न होने पर अपात्र मान जावेगा।
9. शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला धमतरी (छ.ग.)